



भारतीय तटरक्षक (रक्षा मंत्रालय)



तटरक्षक भर्ती कार्मिक परीक्षा (सीजीईपीटी) बैच – 01/2027 तथा 02/2027 के माध्यम से
भारतीय तटरक्षक में भर्ती कार्मिक की भर्ती

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर 26 (1100 बजे) से 21 अक्टूबर 26 (1730 बजे) तक
'ऑनलाइन' आवेदन स्वीकार किए जाएंगे



1. **पात्रता शर्तें.** संघ के सशस्त्र बल, भारतीय तटरक्षक में, भर्ती कार्मिक के रूप में भर्ती के लिए अधोलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित आयु सीमा वाले पुरुष तथा महिला भारतीय नागरिकों से कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. **पदवार शैक्षणिक योग्यता.**

2.1 **नाविक (जनरल ड्यूटी).** स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई) के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से गणित एवं भौतिकी विषय के साथ कक्षा 12^{वीं} उत्तीर्ण।

2.2 **नाविक (घरेलू शाखा).** स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई) के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10^{वीं} उत्तीर्ण।

2.3 **हाइजीनिस्ट-I.** मैट्रिक परीक्षा अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) का प्रमाण पत्र या केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से समकक्ष उत्तीर्ण।

2.4 **यांत्रिक.** स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई) के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10^{वीं} उत्तीर्ण तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित 03 या 04 साल की अवधि का इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलिकम्यूनिकेशन (रेडियो/पावर) इंजीनियरिंग डिप्लोमा।

या

स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई) के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10^{वीं} एवं कक्षा 12^{वीं} उत्तीर्ण तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित 02 या 03 साल की अवधि का इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलिकम्यूनिकेशन (रेडियो/पावर) इंजीनियरिंग डिप्लोमा।

नोट: यांत्रिक संवर्ग में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलिकम्यूनिकेशन (रेडियो/पावर) इंजीनियरिंग (इंजी) शाखा में भर्ती के लिए समकक्ष डिप्लोमा की सूची नीचे दी गई है:-

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (डिप्लोमा)	मैकेनिकल इंजीनियरिंग (डिप्लोमा)	इलेक्ट्रॉनिक्स/ टेलिकम्यूनिकेशन (रेडियो/पावर) इंजीनियरिंग (डिप्लोमा)
------------------------------------	---------------------------------	---

इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (पावर सिस्टम)	मरीन इंजीनियरिंग/ मरीन इंजीनियरिंग एवं सिस्टम	एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रुमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल एवं इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग	मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन)	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग	मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ऑटोमोबाइल)	इलेक्ट्रॉनिक्स (फाइबर ऑप्टिक्स)
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	मैकेनिकल इंजीनियरिंग (रेफ्रीजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग)	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं पावर)	मैकेनिकल इंजीनियरिंग (मरम्मत एवं रख-रखाव)	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इंडस्ट्रीयल कंट्रोल)	प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इंस्ट्रुमेंटेशन एवं कंट्रोल)	शिप बिल्डिंग (जहाज निर्माण) इंजीनियरिंग	
इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग		

नोट: 1. ऑनलाईन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी द्वारा सभी विषयों के अंक स्वयं की अंकतालिका में उल्लिखित अंकों के अनुसार भरने होंगे। ऑनलाईन आवेदन में अंकों का गलत या अपूर्ण भरा जाना अभ्यर्थिता रद्द करने का कारण बनेगा।

2. यांत्रिक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जिनके पास चरण-II भर्ती प्रक्रिया से पूर्व मूल डिप्लोमा प्रमाण पत्र नहीं हैं, उन्हें आवश्यक रूप से चरण-II भर्ती आयोजन के दौरान कॉलेज/विश्वविद्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनंतिम प्रमाण पत्र लाना और अपलोड करना होगा। हालाँकि, चरण-III के आयोजन के दौरान मूल डिप्लोमा प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। यदि चरण- III में अभ्यर्थी के पास मूल दस्तावेज़ नहीं हैं, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

3. **आयु.** उपयुक्त तिथियां नीचे दी गई हैं।

3.1 **01/27 तथा 02/27 बैच** के लिए **नाविक (जनरल ड्यूटी)** अभ्यर्थी का जन्म 01 नवंबर 2005 से 01 मई 2009 के मध्य होना चाहिए।

3.2 **01/27 बैच** के लिए **यांत्रिक** अभ्यर्थी का जन्म 01 मई 2005 से 01 मई 2009 के मध्य होना चाहिए।

3.3 **02/27 बैच** के लिए **नाविक (घरेलु शाखा)** अभ्यर्थी का जन्म 01 नवंबर 2005 से 01 अक्टूबर 2009 के मध्य होना चाहिए।

3.4 **02/27 बैच** के लिए **हाइजीनिस्ट-I** अभ्यर्थी का जन्म 01 नवंबर 2002 से 01 अक्टूबर 2009 के मध्य होना चाहिए।

3.5 आयु सीमा में संबंधित श्रेणियों के लिए लागू छूट निम्न प्रकार है:

क्र.	श्रेणी	आयु सीमा में छूट
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग	03 वर्ष
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	05 वर्ष

4. **रिक्तियां.** प्रत्येक बैच के लिए संभावित रिक्तियां इस प्रकार है :-

4.1 तटरक्षक भर्ती कार्मिक परीक्षा (सीजीईपीटी) – 01/27 बैच

4.1.1 नाविक (जनरल ड्यूटी) के पद के लिए पुरुष तथा महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियां इस प्रकार है :-

पद	लिंग	अना (सामान्य)	ई डब्ल्यू एस	अपिव	अजा	अजजा	कुल
नाविक (जनरल ड्यूटी)	पुरुष	44	11	36	14	12	117
	महिला	08	01	03	01	00	13

4.1.2 इन पदों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

पद	अना (सामान्य)	ई डब्ल्यू एस	अपिव	अजा	अज जा	कुल
यांत्रिक (मैकेनिकल)	09	02	05	05	07	28
यांत्रिक (इलेक्ट्रिकल)	10	02	05	03	03	23
यांत्रिक (इलेक्ट्रॉनिक्स)	05	00	01	02	01	09

4.2 तटरक्षक भर्ती कार्मिक परीक्षा (सीजीईपीटी) – 02/2027 बैच

4.2.1 नाविक (जनरल ड्यूटी) के पद के लिए पुरुष तथा महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियां इस प्रकार है :-

पद	लिंग	अना (सामान्य)	ई डब्ल्यू एस	अपिव	अजा	अजजा	कुल
नाविक (जनरल ड्यूटी)	पुरुष	48	11	36	14	08	117
	महिला	05	01	04	02	01	13

4.2.2 इन पदों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

पद	अना (सामान्य)	ई डब्ल्यू एस	अपिव	अजा	अज जा	कुल
नाविक (घरेलु शाखा)	11	02	07	05	00	25
हाइजीनिस्ट-I	09	01	05	05	00	20

नोट:- 1. नाविक (जनरल ड्यूटी) पद के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ज़ोनवार भर्ती की जाएगी अर्थात् रिक्तियां पाँच ज़ोन में विभाजित की जाएंगी। पाँच ज़ोन में से प्रत्येक के लिए अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। विभिन्न ज़ोन के अंतर्गत आने वाले राज्यों का विवरण इस प्रकार है :-

1.1 **उत्तर** – जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़।

1.2 **पश्चिम** – गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, तथा दमन एवं दीव।

- 1.3 **पूर्व** – पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा।
- 1.4 **दक्षिण** - आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, तमिलनाडु, पुंडुचेरी, केरलम, कर्नाटक, लक्षद्वीप।
- 1.5 **केंद्रीय** – मध्यप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा बिहार।
2. पंजीकरण के समय ये ज़ोनवार रिक्तियां प्रदर्शित की जाएंगी। यदि किसी विशेष ज़ोन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कोई रिक्ति आरक्षित न होने की स्थिति में भी ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी आयुसीमा में किसी प्रकार की छूट अथवा उत्तीर्ण अंकों में छूट अथवा आवेदन शुल्क में छूट अथवा यात्रा किराए की प्रतिपूर्ति आदि के लिए पात्र नहीं होंगे।
3. **नाविक (जनरल ड्यूटी) महिला, यांत्रिक, नाविक (घरेलु शाखा) तथा हाइजीनिस्ट-1 के पदों पर भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर होगी।**
4. **जोनवार/अखिल भारतीय रिक्तियां अस्थायी हैं तथा परिवर्तित हो सकती हैं।**

चयन प्रक्रिया

5. अभ्यर्थी का चयन, चरण-I, II, III, एवं IV (आगे के पैराग्राफों में विस्तार से वर्णित) में उनके प्रदर्शन के आधार पर, चिकित्सा परीक्षा के दौरान निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करने तथा संबंधित बैच में पद के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर आधारित है। भारतीय तटरक्षक में भर्ती के लिए चरण-I, II, III, एवं IV में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों का चयन यांत्रिक के पद के लिए केवल सीजीईपीटी-01/27 बैच के लिए तथा नाविक (घरेलु शाखा) तथा हाइजीनिस्ट-1 के पद के लिए सीजीईपीटी-02/27 बैच के लिए होगा। हालांकि, **नाविक (जीडी) के पद के लिए सीजीईपीटी-01/27 अथवा सीजीईपीटी-02/27 बैच में अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के क्रम, उपलब्ध रिक्तियों तथा प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर होगा।** अभ्यर्थी किसी विशेष बैच में चयन का दावा नहीं कर सकते। सीजीईपीटी के चरण-I, II, एवं III की परीक्षा प्रारंभ होने से पहले अभ्यर्थियों की पहचान की जांच अनिवार्य होगी। चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में पहचान की जांच में निम्नलिखित का सत्यापन/मिलान सम्मिलित होगा:-

5.1 **पंजीकरण के दौरान लाइव इमेज कैप्चर** - पंजीकरण के दौरान अभ्यर्थी को नवीनतम फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण के दौरान अभ्यर्थी की लाइव इमेज खींची जाएगी। अपलोड की गई फोटो में अभ्यर्थी के चेहरे की विशेषताओं का वास्तविक समय की फोटो से मिलान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन आवेदन पत्र के पंजीकरण के समय ली गई वास्तविक समय की फोटो तथा आवेदन पत्र में अभ्यर्थी की फोटो का मिलान आगे के सभी चरणों में अभ्यर्थी के चेहरे की विशेषताओं/शारीरिक बनावट से किया जाएगा।

5.2 बायोमेट्रिक

5.2.1 चरण-I भर्ती के दौरान ऑनलाइन परीक्षा से पूर्व केवल बाएँ अंगूठे का बायोमेट्रिक लिया जाएगा। यदि चरण -I के दौरान बाएँ अंगूठे का बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता तो दाएँ अंगूठे का बायोमेट्रिक लिया जाएगा।

और आगे के सत्यापन के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। बाएँ एवं दाएँ अंगूठे के अलावा, किसी अन्य अंगुली पर बायोमैट्रिक के लिए विचार नहीं जाएगा।

5.2.2 यह अभ्यर्थी की ज़िम्मेदारी है, कि वह पहले से जाँच कर ले कि बायोमैट्रिक मशीनें अंगुलियों के निशानों की छवि (फिंगरप्रिंट) लेने में सक्षम हैं। यदि बायोमैट्रिक मशीन मेहंदी, मोम आदि के कारण फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने में सक्षम नहीं हैं, तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.2.3 ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए हस्ताक्षर।

5.2.4 ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित पहचान चिह्न।

नोट: किसी भी चरण में उपर्युक्त उल्लिखित पहचान जाँच में से किसी एक में भी असफल होना, अभ्यर्थिता रद्द होने का कारण बनेगा।

6. सीजीईपीटी परीक्षा के विभिन्न चरणों का विवरण इस प्रकार है: -

6.1 चरण-I (कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा)

6.1.1 **पहचान सत्यापन** चरण-I में अभ्यर्थी की पहचान ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विवरण को देख कर जाँची जाएगी। अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करते समय सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ लाने होंगे:-

6.1.1.1 वैध मूल पहचान प्रमाण (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट) जो भी ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत/अपलोड किया गया है। आधार कार्ड धारक अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहचान प्रमाण के रूप में प्रथम विकल्प आधार कार्ड अपलोड करना होगा।

6.1.1.2 ई प्रवेश पत्र का एक प्रिंटआउट (ई प्रवेश पत्र का ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटआउट तभी स्वीकार किया जाएगा जब अभ्यर्थी का फोटोग्राफ, क्यू आर कोड तथा अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हों/पठनीय हो)।

6.1.1.3 ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गई फोटोग्राफ के समान 02 पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ।

नोट: अभ्यर्थी को पहचान सत्यापन के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया गया पहचान दस्तावेज़ साथ लाना होगा। ऑनलाइन आवेदन तथा ई प्रवेश पत्र में उल्लिखित अभ्यर्थी का विवरण (नाम, पहचान प्रमाण विवरण, जन्मतिथि) का मिलान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन अपलोड किए गए पहचान प्रमाण (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट) से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन तथा ई प्रवेश पत्र में जानकारी के संबंध में उपर्युक्त दस्तावेज़ों में नाम/जन्मतिथि/पहचान पत्र संख्या/ फोटो में कोई विसंगति होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चरण -I में किसी अन्य दस्तावेज़ की जाँच नहीं की जाएगी तथा यह केवल प्रारंभिक बुनियादी पहचान सत्यापन है।

6.1.2 **बायोमैट्रिक रिकॉर्डिंग** पहचान सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों को चरण-I में बायोमैट्रिक रिकॉर्डिंग से गुजरना होगा। चरण-I में प्राप्त किए गए बायोमैट्रिक डाटा को बाद के सभी चरणों में सत्यापित/पुनः कैप्चर किया जाएगा।

6.1.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा कंप्यूटर आधारित एक परीक्षा (सीबीई) आयोजित की जाएगी जिसमें 100 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रश्न पत्र द्विभाषी (हिंदी तथा अंग्रेजी) तथा वैकल्पिक प्रकार (बहु विकल्पी प्रश्न) का होगा। परीक्षा की अवधि एक घंटा होगी। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन नहीं है। विस्तृत पाठ्यक्रम पोर्टल पर उपलब्ध है।

6.1.3.1 संबंधित श्रेणियों के सभी पदों के लिए उत्तीर्णांक मानदंड इस प्रकार है:-

क्र.	श्रेणी	उत्तीर्णांक
1.	अनारक्षित / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग /अन्य पिछड़ा वर्ग	40
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	35

6.1.3.2 अंकों का सामान्यीकरण यदि परीक्षा एक से अधिक पारियों में आयोजित की जाती है, तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा तथा इन सामान्यीकृत अंकों का प्रयोग अंतिम मेरिट तथा कट ऑफ अंकों के निर्धारण में किया जाएगा।

6.1.3.3 चरण-I का परिणाम अभ्यर्थी के डैशबोर्ड (कैंडिडेट्स डैशबोर्ड) पर अपलोड किया जाएगा ।

6.2 चरण-II (भारतीय तटरक्षक द्वारा निर्दिष्ट भर्ती केंद्रों पर भर्ती प्रक्रिया) कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में प्रदर्शन, भारतीय तटरक्षक भर्ती केंद्रों की संचालन क्षमता के आधार पर अभ्यर्थियों को चरण-II के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तथा अनंतिम ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। सीजीईपीटी-01/27 तथा सीजीईपीटी-02/27 बैच के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए चरण-II संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए, अभ्यर्थियों को दी गई अवधि के भीतर पैरा 7.5 में उल्लिखित अतिरिक्त दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे तथा पसंदीदा तिथि एवं केंद्र का चयन करना होगा। भारतीय तटरक्षक द्वारा प्रख्यापित समय सीमा के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज़ अपलोड करने तथा तिथि/केंद्र का चयन करने में विफल होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। चरण-II परीक्षा के लिए तिथि एवं केंद्र का आवंटन “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों को तिथि एवं केंद्र के चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। जिन तिथियों एवं परीक्षा केंद्रों पर सीटें उपलब्ध होंगी, उन्हें अभ्यर्थियों को चयन के लिए दिखाया जाएगा। चरण- II की अवधि 1-2 दिन है तथा यह आवंटित केंद्र पर आयोजित की जाएगी। चरण- II में निम्नलिखित परीक्षाएं शामिल होंगी जो केवल अर्हता निर्धारण के लिए होंगी।

6.2.1 बुनियादी पहचान तथा बायोमैट्रिक सत्यापन चरण-II के लिए रिपोर्ट करने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश द्वार पर बुनियादी पहचान जांच के बाद भारतीय तटरक्षक भर्ती केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी तथा आगे अभ्यर्थी ऊपर पैरा 5 में वर्णित बायोमैट्रिक सत्यापन के अधीन होंगे। जिन अभ्यर्थियों की पहचान प्रवेश द्वार पर सत्यापित नहीं हो पाती है, उन्हें भारतीय तटरक्षक भर्ती केंद्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी परिणामस्वरूप उन्हें भर्ती प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

6.2.2 शारीरिक स्वस्थता परीक्षा (पीएफटी). शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा (पीएफटी) से गुजरने वाले अभ्यर्थी अपने जोखिम पर इस परीक्षा में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे स्पोर्ट्स रिग (जूते, टी-शर्ट, ट्राउजर इत्यादि) अपने पास रखें। शारीरिक स्वस्थता परीक्षा (पीएफटी) इस प्रकार होगी :-

क्र.	लिंग	1.6 किमी दौड़ के लिए समय	ऊठक-बैठक	पुश- अप	घुटने मोड़कर किए जाने वाले सिट अप्स
------	------	--------------------------	----------	---------	-------------------------------------

			(स्काट्स)		(बेंट नी सिट अप्स)
1.	पुरुष	06 मिनट 30 सेकंड	20	15	15
2.	महिला	08 मिनट	15	10	10

नोट. शारीरिक स्वस्थता परीक्षण के सभी चारों परीक्षण बिना किसी विराम के लगातार संचालित किए जाएंगे। इन परीक्षणों में किसी भी विराम की स्थिति में शारीरिक स्वस्थता परीक्षण में अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा।

6.2.3 मूल्यांकन तथा अनुकूलनशीलता परीक्षा. शारीरिक स्वस्थता परीक्षा (पीएफटी) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चरण-II भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों में अर्हता के लिए ऑनलाइन/ओएमआर आधारित एक परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा मात्र अर्हता मूलक है तथा इसमें प्राप्त अंक अंतिम मेरिट सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। परीक्षा आयोजन के पश्चात परीक्षा स्थल पर परिणाम घोषित किया जाएगा।

6.2.4 दस्तावेज सत्यापन. ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी मूल दस्तावेजों जैसे कक्षा 10^{वीं}/ कक्षा 12^{वीं}/ डिप्लोमा की अंकसूची/पहचान प्रमाण (आधार कार्ड या पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट) श्रेणी प्रमाण पत्र/ हर एक विषय तथा कुल अंकों /सीजीपीए (जैसा लागू हो)/अधिवास प्रमाण पत्र से मेल खानी चाहिए। **दस्तावेज सत्यापन में अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से उत्तीर्ण या अनंतिम रूप से अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।** अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, अपलोड किए गए दस्तावेज तथा नाम, जन्मतिथि, अभिभावकों के नाम, विषयवार अंक/सीजीपीए (जैसा लागू हो), दस्तावेजों की वैधता, श्रेणी (जाति) प्रमाण पत्र विवरण, अधिवास प्रमाण पत्र आदि के संदर्भ में चरण-II सत्यापन हेतु में प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की विसंगति/भिन्नता/ त्रुटि दस्तावेज सत्यापन में विफलता का कारण बनेगी। **सभी दस्तावेज जारी होने की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि या उससे पूर्व की कोई तिथि होनी चाहिए।** सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों की वैधता कम से कम **31 दिसंबर 27** तक होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में किसी भी असत्य घोषणा से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन कई चरणों में आयोजित किया जाएगा। किसी भी चरण में किसी भी प्रकार की विसंगति/भिन्नता/असत्य /फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर लागू नियमों के अनुसार अभ्यर्थी का नामांकन होने पर भी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

6.2.5 भर्ती चिकित्सा परीक्षा. भर्ती चिकित्सा अधिकारी निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सा फिटनेस के लिए अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगा तथा उन्हें योग्य (फिट)/ अयोग्य (अनफिट) घोषित करेगा। **दस्तावेज सत्यापन में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को भर्ती चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा।** भर्ती चिकित्सा परीक्षा में चिकित्सकीय अयोग्य (अनफिट) पाए गए अभ्यर्थी जो अपील करना चाहते हैं, उन्हें किसी निर्दिष्ट सैन्य अस्पताल (भारतीय तटरक्षक द्वारा आवंटित) को तुरंत रैफर किया जाएगा। **अभ्यर्थियों को भर्ती चिकित्सा परीक्षा पूर्ण होने के 14 दिन के भीतर निर्दिष्ट एएफएमएस अस्पताल में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।** अपील चिकित्सा परीक्षा को अंतिम माना जाएगा तथा अभ्यर्थी को किसी अन्य अथवा उसी अस्पताल में दोबारा अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

नोट: 1. चरण-II भर्ती केंद्र पर भर्ती चिकित्सा परीक्षा में योग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भारतीय तटरक्षक द्वारा आगे दस्तावेजों की जाँच के दौरान दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य घोषित किया जा सकता है क्योंकि चरण-II के आयोजन के बाद तथा अंतिम मेरिट/परिणाम के प्रकाशन से पहले तक भी भर्ती प्रक्रिया के कई चरणों में दस्तावेज सत्यापन किया जाता है।

2. भर्ती चिकित्सा परीक्षा, अपील चिकित्सा परीक्षा तथा नामांकन से पूर्व चिकित्सा परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी को योग्य अथवा अयोग्य घोषित करने के लिए भर्ती चिकित्सा अधिकारी तथा सशस्त्र बल अस्पतालों (भारतीय तटरक्षक द्वारा आवंटित) के विशेषज्ञ चिकित्सक अंतिम प्राधिकारी हैं

6.2.6 चरण-III के लिए अंतिम मेरिट सूची तैयार करना. भारतीय तटरक्षक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का पुनः सत्यापन (अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति में) करेगा तथा मेरिट तैयार करने के लिए केवल उन अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा जो दस्तावेज सत्यापन में अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त करेंगे तथा भर्ती/अपील मेडिकल में योग्य घोषित किए जाएंगे। सभी चरणों में अर्हता प्राप्त करने वाले तथा इस विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यक मानदंडों को पूर्ण करने वाले नाविक (जीडी) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए (ज़ोनवार तथा श्रेणीवार) तथा नाविक (जीडी) महिला अभ्यर्थियों, यांत्रिक, नाविक (डीबी) तथा हाइजीनिस्ट-1 के लिए अखिल भारतीय स्तर (श्रेणीवार) मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सीजीईपीटी-01/27 या सीजीईपीटी-02/27 बैच में नाविक (जीडी) पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के क्रम तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी किसी विशेष बैच में अपने चयन का दावा नहीं कर सकते। अभ्यर्थियों का मेरिट का क्रम केवल चरण-I में प्राप्त अंकों, चरण-II के सभी चरणों में अर्हता तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर आधारित होगा। मूल्यांकन परीक्षा के अंक अंतिम मेरिट सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे परन्तु टाई ब्रेकिंग के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। चरण -I में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में मेरिट में टाई ब्रेकिंग (निर्णायक) नियम इस प्रकार है [जहां कहीं भी टाई ब्रेकन (निर्णायक काल) होगा अगला चरण पहले नहीं होगा]

6.2.6.1 अधिक आयु का अभ्यर्थी मेरिट में उच्च होगा।

6.2.6.2 मूल्यांकन परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी।

नोट: अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आवेदन करने वाले तथा अपने किराए की प्रतिपूर्ति के इच्छुक अभ्यर्थियों को चरण-II के दौरान मूल श्रेणी प्रमाण पत्र तथा अजा/अजजा प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित दो फोटोकॉपी, मूल रेल/बस टिकट, एनईएफटी भुगतान के लिए रद्द चेक पात्र तथा टीए का दावा करने के लिए वेबसाइट से डाउनलोड किया गया यात्रा फार्म साथ लेकर आना होगा। चरण-II भर्ती परीक्षा पूर्ण होने के बाद तथा बाद के किसी अन्य चरण में यात्रा भत्ता दावे संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.3 चरण-III. जो अभ्यर्थी चरण-I तथा चरण-II में अर्हता प्राप्त करते हैं तथा उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार मेरिट में आते हैं, उन्हें भा.नौ.पो. चिल्का में रिपोर्ट करने के लिए अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तथा उन्हें अनंतिम ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। प्रत्येक संवर्ग के लिए संबंधित बैच में अर्थात् सीजीईपीटी-01/27 बैच में नाविक (जीडी) एवं यांत्रिक तथा सीजीईपीटी-02/27 बैच में नाविक (जीडी), नाविक (डीबी), तथा हाइजीनिस्ट-1 के लिए चरण-III पृथक रूप से आयोजित किया जाएगा। चरण-III की अवधि 1-2 दिन है। साथ ही, भा.नौ.पो. चिल्का एक नौसेना प्रशिक्षण स्थापना है, इसलिए प्रशिक्षण बेस पर प्रचलित सत्यापन प्रक्रिया भारतीय तटरक्षक के अभ्यर्थियों पर लागू है। चरण-III में निम्नलिखित सम्मिलित है :-

6.3.1 बुनियादी पहचान जांच:- भर्ती के चरण-III के लिए भा.नौ.पो. चिल्का में रिपोर्ट करने वाले सभी अभ्यर्थियों का आधार आधारित पहचान सत्यापन किया जाएगा। पिछले दो वर्षों के दौरान आधार कार्ड के जनसांख्यिकीय विवरणों (नाम, जन्मतिथि, शारीरिक बनावट) में किए गए परिवर्तनों की जांच की जाएगी। किसी भी प्रकार की विसंगति या मिलान नहीं होने की स्थिति में :

6.3.1.1 अभ्यर्थी को वैध सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

6.3.1.2 शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर वास्तविक परिवर्तनों पर विचार किया जा सकता है।

6.3.1.3 धोखाधड़ी के संदेह अथवा वैध प्रमाण के अभाव की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द करने कर दी जाएगी।

6.3.2 दस्तावेज़ सत्यापन. ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी मूल दस्तावेजों जैसे कक्षा 10^{वीं}/कक्षा 12^{वीं}/डिप्लोमा की अंकसूची/ पहचान प्रमाण (आधार कार्ड या पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट) अधिवास प्रमाण पत्र/ श्रेणी (जाति) प्रमाण पत्र/ हर एक विषय एवं कुल अंकों या सीजीपीए (जैसा लागू हो) से मेल खानी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, अपलोड किए गए दस्तावेज़ तथा नाम, जन्मतिथि, अभिभावकों के नाम, दस्तावेजों की वैधता, श्रेणी (जाति) प्रमाण पत्र विवरण आदि के संदर्भ में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की विसंगति/भिन्नता/ त्रुटि दस्तावेज़ सत्यापन में विफलता का कारण बनेगी तथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। सभी दस्तावेजों के जारी करने की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि या उससे पहले की कोई तिथि होनी चाहिए। अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की वैधता कम से कम **31 दिसंबर 27** तक होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी असत्य घोषणा से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

6.3.3 भा.नौ.पो. चिल्का में पूर्व नामांकन चिकित्सा. भा.नौ.पो. चिल्का में भर्ती चिकित्सा अधिकारी द्वारा सभी चयनित अभ्यर्थियों की पूर्व नामांकन चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी। पूर्व नामांकन चिकित्सा परीक्षा का आयोजन चरण-II भर्ती प्रक्रिया के दौरान आयोजित भर्ती चिकित्सा परीक्षा तथा अभ्यर्थियों की भा.नौ.पो. चिल्का में रिपोर्टिंग की तारीख के मध्य के समय के अंतराल पर निर्भर करेगा। अयोग्य (अनफिट) पाए गए तथा अपील करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को भा.नौ.पो. चिल्का के चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा आवंटित किसी निर्दिष्ट सैन्य अस्पताल (या तो आईएनएचएस निवारिणी या आईएनएचएस कल्याणी) में तुरंत रेफर किया जाएगा। **ऐसे अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट सैन्य अस्पताल में रिपोर्ट करना होगा तथा अपील चिकित्सा परीक्षा के तहत अधिकतम पाँच कार्य दिवस की अवधि के भीतर अपील चिकित्सा पूर्ण करनी होगी।** अपील चिकित्सा परीक्षा को अंतिम माना जाएगा तथा अभ्यर्थी को किसी अन्य अथवा उसी अस्पताल में दोबारा अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

6.3.4 दस्तावेज जमा करना सभी अभ्यर्थियों को चरण-III में ई प्रवेश पत्र के साथ मूल दस्तावेज, पुलिस सत्यापन प्रपत्र एवं अन्य संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थियों को अधिवास के स्थान या वर्तमान निवास स्थान से पुलिस सत्यापन प्राप्त करना होगा जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास सत्यापित पुलिस सत्यापन रिपोर्ट नहीं है अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों वाली रिपोर्ट वाले अभ्यर्थी नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे।

6.4 चरण IV: चरण- IV में चरण- III के दौरान प्रस्तुत मूल शैक्षणिक दस्तावेजों तथा अन्य दस्तावेजों का संबंधित बोर्ड /विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ सत्यापन/प्रमाणीकरण सम्मिलित है। यदि दिए गए दस्तावेजों को संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार द्वारा वास्तविक नहीं बताया जाता है तो अभ्यर्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

7. आवेदन कैसे करें

7.1 आवेदन दिनांक 06 अक्टूबर 26 (1100 बजे) से 21 अक्टूबर 26 (1730 बजे) तक 'केवल ऑनलाइन' स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को www.ssc.gov.in पर लॉगिन करना होगा तथा स्वयं को पंजीकृत करने के निर्देशों का पालन करना होगा। **अभ्यर्थियों को अपना पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाईल नंबर स्मरण रखना है क्योंकि यह आवेदन फॉर्म में एंक्रिप्टेड होगा।** यदि अभ्यर्थी अपना ई-मेल आईडी या मोबाईल नंबर भूल जाते हैं, तो डैशबोर्ड में लॉगिन करना संभव नहीं होगा और न ही ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे या अपना परिणाम देख सकेंगे और इसके लिए भारतीय तटरक्षक उत्तरदायी नहीं होगा। पंजीकृत ई-मेल या मोबाईल नंबर को पुनः प्राप्त करने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.2 अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उल्लिखित आवेदन पत्र भरने संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

7.3 अभ्यर्थियों को पोर्टल पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ ए क्यू) का पालन करना होगा।

7.4 अभ्यर्थी केवल **एक पद** के लिए आवेदन कर सकता है। यदि अभ्यर्थी एक विशेष भर्ती चक्र के दौरान एकाधिक आवेदन भरता है, तो केवल नवीनतम भरे हुए आवेदन पर विचार किया जाएगा तथा पूर्व में भरे गए सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। हालाँकि, भरे गए एक से अधिक आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की आगे पात्रता के लिए जाँच की जाएगी तथा किसी भी चरण में किसी भी लिहाज से अपात्र पाए जाने पर इसे अस्वीकार किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए अभ्यर्थी support@parikshasaarthi.in पर ईमेल के माध्यम से तथा टेलीफोन नंबर 7620207872 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

7.5 **भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़.** अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ दो चरणों में अपलोड करने होंगे। मूल दस्तावेजों की केवल स्कैन प्रतियां अपलोड की जाएंगी फोटोकॉपी और स्व-सत्यापित फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएंगी।

7.5.1 चरण-1 से पूर्व ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज़

7.5.1.1 रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उल्लिखित विशेषताओं के अनुसार पासपोर्ट आकार का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (**आवेदन खुलने की तिथि से तीन महीने पहले से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए**)

7.5.1.2 **पंजीकरण के दौरान लाइव इमेज कैप्चर** - पंजीकरण के दौरान अभ्यर्थी की लाइव इमेज भी खींची जाएगी। अपलोड की गई फोटो में अभ्यर्थी के चेहरे की विशेषताओं का वास्तविक समय की फोटो से मिलान किया जाएगा। लाइव फोटो तथा अपलोड की गई फोटो मिलान की स्थिति में ही अभ्यर्थी आवेदन जमा कर सकेंगे।

7.5.1.3 अभ्यर्थी के स्कैन किए गए हस्ताक्षर की छवि।

7.5.1.4 जन्मतिथि प्रमाण (10^{वीं} कक्षा अंकसूची या जन्म प्रमाणपत्र)।

7.5.1.5 पहचान प्रमाण (आधार कार्ड या पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट)।

7.5.1.6 यदि अभ्यर्थी सेवारत तटरक्षक कार्मिक या तटरक्षक असैन्य कार्मिक है, तो सेवा प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र।

7.5.1.7 ज़ोनवार भर्ती के लिए अभ्यर्थी के ज़ोन के निर्धारण के लिए नाविक (जीडी) पुरूष के पद के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा एक वैध अधिवास प्रमाणपत्र अपलोड किया जाना है। **जिन राज्यों में अधिवास प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र दोनों जारी किए जाते हैं केवल अधिवास प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा।**

7.5.1.8 नाविक (जीडी) महिला, यांत्रिक, नाविक (डीबी) तथा हाइजीनिस्ट-1 के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अधिवास प्रमाण पत्र केवल तभी अपलोड करना होगा जब उन्हें चिकित्सा मानकों अर्थात लंबाई में छूट की आवश्यकता हो।

7.5.2 चरण-II के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़. यदि अभ्यर्थी चरण II भर्ती प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो उसे निम्नलिखित प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे :-

7.5.2.1 सभी अभ्यर्थी सभी पदों के लिए

7.5.2.1.1 श्रेणी प्रमाण पत्र {अजा/अजजा/अपिव (नॉन क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस}

7.5.2.1.2 यदि अभ्यर्थी नियोजित है, तो सरकारी संगठन से अनापत्ति प्रमाण पत्र। अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन भरने की तिथि या उसके बाद का होना चाहिए।

7.5.2.2 हाइजीनिस्ट-1 अभ्यर्थी (7.5.2.1 के अतिरिक्त)

7.5.2.2.1 8^{वीं} कक्षा की अंकसूची

7.5.2.2.2 10^{वीं} कक्षा की अंकसूची (यदि पूर्ण है)

7.5.2.2.3 10^{वीं} कक्षा का प्रमाणपत्र (यदि पूर्ण है)

7.5.2.2.4 आईटीआई प्रमाण पत्र तथा अंकसूची

7.5.2.3 नाविक (डीबी) अभ्यर्थी (7.5.2.1 के अतिरिक्त)

7.5.2.3.1 10^{वीं} कक्षा की अंकसूची

7.5.2.3.2 10^{वीं} कक्षा का प्रमाणपत्र

7.5.2.3.3 10^{वीं} कक्षा की अतिरिक्त मार्कशीट (यदि लागू हो)।

7.5.2.4 नाविक (जीडी) अभ्यर्थी (7.5.2.1 तथा 7.5.2.3 के अतिरिक्त)

7.5.2.4.1 12^{वीं} कक्षा की अंकसूची

7.5.2.4.2 12^{वीं} कक्षा का प्रमाणपत्र

7.5.2.4.3 12^{वीं} कक्षा की अतिरिक्त मार्कशीट (यदि लागू हो)।

7.5.2.5 यांत्रिक अभ्यर्थी (7.5.2.1 तथा 7.5.2.3 के अतिरिक्त)

7.5.2.5.1 12^{वीं} कक्षा की अंकसूची (यदि पूर्ण है)

7.5.2.5.2 12^{वीं} कक्षा का प्रमाणपत्र (यदि पूर्ण है)

7.5.2.5.3 डिप्लोमा के सभी वर्षों/सेमेस्टर की अंकसूची

7.5.2.5.4 डिप्लोमा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र

7.5.2.5.5 12^{वीं} कक्षा/डिप्लोमा की अतिरिक्त मार्कशीट (यदि लागू हो)।

नोट- 1. अपने कोटे का लाभ ले रहे अजा/अजजा/अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदकों के मामले में, उनके ऑनलाइन आवेदन में दिया गया वर्तमान या स्थायी पता उनके वर्ग (जाति) प्रमाण पत्र {अजा/अजजा/अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस} प्रमाण पत्र में उल्लिखित पते के समान होना चाहिए।

2. ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र **भारत सरकार के फॉर्मेट** के अनुसार होना चाहिए।

3. अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र भारत सरकार के अधीन पद पर नियुक्ति से संबंधित फॉर्मेट के अनुसार होना चाहिए और आगे के ऑनलाइन सत्यापन के लिए क्यू आर/बार कोड अंकित किया हुआ होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में यह विशिष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए कि अभ्यर्थी संबंधित सरकारी आदेशों में उल्लेख के अनुसार व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।
4. इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को एक वैध तथा नवीनतम अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
5. अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेजों का आकार पोर्टल पर दिए गए विशेष विवरण के अनुसार होना चाहिए।
6. ऑनलाइन आवेदन के दौरान तथा चरण-II के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों {अजा/अजजा/अपिव (नॉन- क्रीमी)/ईडब्ल्यूएस/अकसूची/शैक्षिक प्रमाणपत्र/ पहचान प्रमाण/अधिवास प्रमाण पत्र } के जारी होने की तिथि **आवेदन बंद होने की अंतिम तिथि** या उससे पूर्व होनी चाहिए तथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेजों की वैधता कम से कम **31 दिसंबर 27** तक होनी चाहिए।
7. अपलोड किए गए सभी दस्तावेज हिंदी या अंग्रेजी में होने चाहिए। यदि दस्तावेज अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य किसी भाषा में हैं, तो अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज तथा उसका अंग्रेजी अनुवाद दोनों अपलोड करना होगा।
8. दस्तावेज सत्यापन के दौरान धुंधली तस्वीर, धुंधले हस्ताक्षर तथा अपलोड किए गए अस्पष्ट दस्तावेजों वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। अपलोड किए गए दस्तावेजों में छवियों की स्पष्टता अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेजों की छवियों की स्पष्टता में किसी भी विसंगति या असामान्यता के कारण अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। अपलोड किए गए दस्तावेज सुपाठ्य, पढ़ने योग्य और पूर्ण होने चाहिए अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। पूरे दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड किया जाना है, उदा. यदि जन्मतिथि प्रमाणपत्र या श्रेणी प्रमाण पत्र या पहचान प्रमाण (आधार कार्ड या पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट) या कक्षा 10^{वीं} या कक्षा 12^{वीं} में दो या अधिक पृष्ठ हैं, तो सभी पृष्ठों को एक फाइल में मर्ज कर दिया जाएगा तथा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया जाएगा। अपूर्ण या आंशिक रूप से स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
8. **परीक्षा शुल्क.** अभ्यर्थियों (अजा/अजजा श्रेणी के लिए रिक्त पदों पर आवेदन के पात्र तथा इच्छुक अभ्यर्थियों को छोड़कर, जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है) को **550/- (पाँच सौ पचास रुपये मात्र)** नेट बैंकिंग का उपयोग करते हुए या वीजा/मास्टर/ मेस्ट्रो/डेबिट कार्ड/ यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मोड पर भुगतान करना होगा। परीक्षा के लिए ई-प्रवेश पत्र केवल उन्हीं आवेदकों को जारी किया जाएगा जिन्होंने परीक्षा शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया हो और जो परीक्षा शुल्क माफी के हकदार हो।

नोट:- 1. एक बार भुगतान के बाद किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा तथा ना ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए इस शुल्क को आरक्षित रखा जाएगा।

2. अजा/अजजा श्रेणी की रिक्तियों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क में माफी के हकदार होंगे। यदि यह पाया जाता है कि परीक्षा शुल्क में छूट/लागू अन्य किसी रियायत की छूट का दावा करने के लिए जाली अजा/अजजा श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, तो भर्ती/प्रशिक्षण के किसी भी चरण में अभ्यर्थी को सेवामुक्त/अस्वीकृत किया जा सकता है।

3. यदि अभ्यर्थी ने शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया है तथा उसके बैंक खाते से पैसे कट गए हैं (अर्थात् असफल भुगतान), तो वह कृपया यह जाँच ले की क्या लेनदेन संबंधी मूल खाते में शुल्क स्वतः वापस आ गया है अथवा अपने खाते में पैसे की स्वतः वापसी हेतु 15 कार्य दिवस प्रतीक्षा करे तथा मूल खाते में लेनदेन की स्थिति जाँच ले।
4. यदि एक अभ्यर्थी से एक आवेदन के लिए एक से अधिक भुगतान प्राप्त किए जाते हैं, तो वह वापस नहीं किए जाएंगे।

9. **परीक्षा केंद्र शहर** – आवेदन में अभ्यर्थी को चरण-I प्रक्रिया के परीक्षा केंद्र शहर के लिए प्राथमिकताएँ देनी होंगी। अभ्यर्थियों को पहली पसंद वर्तमान/संचार निवास से निकटतम भरनी होगी। चरण-II के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने पर अभ्यर्थियों को चरण-II परीक्षा के लिए तिथि एवं केंद्र चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। चरण-I तथा चरण-II के लिए एक बार परीक्षा केंद्र आबंटित होने के बाद किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं किए जाएंगे।

नोट- चरण-I और चरण-II के लिए परीक्षा केंद्र शहर आबंटित करने का अधिकार भारतीय तटरक्षक सुरक्षित रखता है, जो कि अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्पों के अनुसार हो भी सकते हैं, या नहीं भी।

10. परीक्षा की अनंतिम समय सारणी इस प्रकार है:-

बैच	परीक्षा की अनंतिम तिथियाँ		
	चरण-I	चरण-II	चरण-III
सीजीईपीटी-01/27	नवंबर 2026 के	फरवरी 2027 के अंत में	मई 2027 के प्रारंभ में
सीजीईपीटी-02/27	प्रारंभ/मध्य में		अक्टूबर 2027 के मध्य में

नोट: 1. चरण – I, II एवं III के लिए ई प्रवेश पत्र डाउनलोड हेतु उपलब्ध होने की तिथि की घोषणा भारतीय तटरक्षक द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थियों को विभिन्न चरणों के लिए ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने तथा अन्य जानकारियों हेतु नियमित रूप से संबंधित लॉगिन आईडी में लॉगिन करने का निर्देश दिया जाता है।

2. ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में विफल होने तथा विभिन्न भर्ती चरणों के लिए रिपोर्ट न करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी दैनिक आधार पर महत्वपूर्ण भर्ती सूचनाओं की नियमित जाँच करने में विफल रहता है, तो भारतीय तटरक्षक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

11. परिणाम की घोषणा.

11.1 अभ्यर्थी के अकाउंट में लॉगिन करके चरण-I से चरण-III तक चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का परिणाम देखा जा सकता है। इसके अलावा चरण-I, II तथा III में कदाचार में शामिल पाए गए अभ्यर्थियों को उनके प्राप्त अंकों के बारे में सूचित नहीं किया जाएगा तथा संबंधित पद तथा श्रेणी की कट ऑफ प्रदर्शित नहीं की जाएगी।

11.2 सीजीईपीटी-01/27 तथा सीजीईपीटी-02/27 बैच के चरण-III का परिणाम पृथक रूप से घोषित किया जाएगा तथा यह अभ्यर्थी के डैशबोर्ड (कैंडिडेट्स डैशबोर्ड) में उपलब्ध रहेगा जिसे उनकी लॉगिन आईडी में लॉगिन करके देखा जा सकता है।

12. **प्रत्येक चरण पर आवश्यक दस्तावेजों की सूची** सीजीईपीटी परीक्षा के प्रत्येक चरण में अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज साथ लाना होगा।

12.1 चरण - I

12.1.1 वैध मूल पहचान प्रमाण (आधार कार्ड या पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट) जो भी ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत/अपलोड किया गया है।

12.1.2 ई प्रवेश पत्र का एक प्रिंटआउट" (ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटआउट तभी स्वीकार किया जाएगा जब अभ्यर्थी की फोटो तथा अन्य सभी विवरण स्पष्ट दिखाई दें/पठनीय हो)।

12.1.3 ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटोग्राफ के समान चेहरे की विशेषताओं वाले पासपोर्ट आकार के 02 रंगीन फोटोग्राफ।

12.2 चरण- II

12.2.1 "ऑनलाइन आवेदन तथा चरण-I तथा चरण-II के ई प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट" (ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटआउट तभी स्वीकार किया जाएगा जब अभ्यर्थी की फोटो तथा अन्य सभी विवरण स्पष्ट दिखाई दें/पठनीय हो)।

12.2.2 पहचान प्रमाण (आधार कार्ड या पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट) जो भी ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत/अपलोड किया गया है।

12.2.3 ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा चरण-II के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने पर अभ्यर्थी के लॉगिन में प्रस्तुत/अपलोड किए गए मूल दस्तावेज।

12.2.4 सभी मूल दस्तावेजों की विधिवत स्व-सत्यापित 02 फोटोकॉपी।

12.2.5 ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ की 12 प्रतियाँ चेहरे की समान विशेषताओं के साथ।

12.2.6 भारतीय तटरक्षक के लिए नियोक्ता द्वारा जारी मूल सेवा प्रमाण पत्र/ अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा उसकी स्व-सत्यापित 02 फोटोकॉपी उन अभ्यर्थियों के लिए जो वर्तमान में किसी सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सेवारत हैं (यदि लागू हो)।

12.2.7 केवल अजा/अजजा आवेदकों के लिए:- ई प्रवेश पत्र का 01 अतिरिक्त रंगीन प्रिंट आउट, मूल श्रेणी प्रमाण पत्र तथा अजा/अजजा प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित दो फोटोकॉपी, मूल रेल/बस टिकट, एनईएफटी भुगतान के लिए रद्द चेक पत्र तथा यात्रा भत्ते का दावा करने के लिए वेबसाइट से डाउनलोड किया गया यात्रा फार्म। टैक्सी अथवा अन्य किसी यातायात के साधन का किराया अनुमत नहीं है।

12.3 चरण-III

12.3.1 "ऑनलाइन आवेदन तथा चरण-III के ईप्रवेश पत्र" का प्रिंटआउट (प्रिंटआउट तभी स्वीकार किया जाएगा जब अभ्यर्थी की फोटो तथा अन्य सभी विवरण स्पष्ट दिखाई दें/पठनीय हो)।

12.3.2 ऑनलाइन आवेदन पत्र में तथा चरण III के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने पर अभ्यर्थी के लॉगिन में जमा/अपलोड किए गए मूल दस्तावेज।

12.3.3 सभी मूल दस्तावेजों की विधिवत स्व-सत्यापित 03 फोटोकॉपी।

12.3.4 आवेदन मे प्रस्तुत पासपोर्ट आकार की 30 रंगीन फोटोग्राफ चेहरे की समान विशेषताओं के साथ

12.3.5 नीली पृष्ठभूमि के साथ 3.5 सेमी x 2.5 सेमी आकार का रंगीन फोटोग्राफ – (10 प्रतियां)

12.3.6 माता/पिता की इच्छुकता संबंधी प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)

12.3.7 पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)

12.3.8 परिवार के विवरण से संबंधित प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)

12.3.9 चरित्र प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)

12.3.10 इच्छुकता प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)

12.3.11 साक्षात्कन प्रपत्र (संवर्ग के नाम के साथ) – (03 मूल प्रतियां)

12.3.12 वर्तमान में किसी सरकारी संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से मूल अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा उसकी स्व-सत्यापित चार प्रतियां, सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होंगी। नियुक्ति की पुष्टि होने पर, प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व सेवामुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12.3.13 पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड या पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट) जो भी ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत/अपलोड किया गया है।

नोट: बैंक खाता खोलने तथा स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या उत्पन्न करने के लिए चरण-III में आधार कार्ड तथा आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर अनिवार्य है।

13. चिकित्सा परीक्षा तथा मानक

13.1 भर्ती कार्मिकों के प्रवेश के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के वर्तमान विनियमों के अनुसार प्राधिकृत **रक्षा बलों के सैन्य चिकित्सकों** द्वारा चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी।

13.2 आवश्यक चिकित्सा मानक

13.2.1 **लंबाई** पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई मानक 157 सेमी. तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेमी. है। असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, कुमाऊं तथा सिक्किम अधिवास वाले अभ्यर्थियों हेतु लंबाई मानकों को 5 सेमी तक कम किया जा सकता है। गोरखाओं के लिए भी 5 सेमी की कमी लागू है। लद्दाख, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अधिवास वाले अभ्यर्थियों के लिए लंबाई मानक 2 सेमी तक कम किया जा सकता है।

13.2.2 **सीना** वक्ष भित्ति सुगठित तथा विकसित होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने की न्यूनतम परिधि 77 सेमी होनी चाहिए जिसमें कम से कम 5 सेमी का फुलाव हो। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी सीना सुगठित तथा तथा न्यूनतम 5 सेमी का फुलाव होना चाहिए।

13.2.3 **वजन** भारतीय तटरक्षक के लिए लागू आयु तथा ऊंचाई के समानुपातिक में।

13.2.4 **श्रव्यशक्ति** अभ्यर्थियों की सुनने की क्षमता सामान्य होनी चाहिए अर्थात वह प्रत्येक कान से पृथक रूप से 6 मीटर की दूरी से फुसफुसाहट सुन सके।

13.2.5 **टैटू.** शरीर के किसी भी हिस्से पर स्थायी टैटू की अनुमति नहीं है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा घोषित जनजातीय क्षेत्रों के समुदायों के अभ्यर्थियों को कुछ रियायतें दी गई हैं। अन्य अभ्यर्थियों के लिए, शरीर पर स्थायी टैटू केवल बाहों के अंदरूनी हिस्से अर्थात कोहनी के अंदर से कलाई तक और हथेली के पीछे/हाथ के पीछे (पृष्ठीय) हिस्से पर ही स्वीकार्य है।

13.2.6 **दंत चिकित्सा** मसूड़े स्वस्थ होने चाहिए, दांतों का सेट अच्छा होना चाहिए तथा न्यूनतम 14 दंत बिंदु होने चाहिए।

13.2.7 **सामान्य स्वास्थ्य** अभ्यर्थी सशस्त्र बलों के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा चिकित्सा मानकों के अनुरूप होना चाहिए। अभ्यर्थी का शरीर सामान्य होना चाहिए तथा उसके किसी भी अंग में कोई विकृति या क्षति नहीं होनी चाहिए। उसे किसी सक्रिय या सुप्त, भयानक (उग्र) या दीर्घकालिक(जीर्ण), चिकित्सकीय या शल्य चिकित्सा संबंधी विकलांगता या संक्रामक रोग, संक्रमण या त्वचा संबंधी रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी शारीरिक तथा मानसिक रूप से विश्व के किसी भी भाग में, किसी भी जलवायु तथा भूभाग में ड्यूटी करने में सक्षम होना चाहिए।

13.2.8 **लिंग** यदि किसी अभ्यर्थी में बाह्य शारीरिक परीक्षा के दौरान विपरीत लिंग के लक्षण स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं तो उसे अयोग्य घोषित करके उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। ऐसे किसी भी अभ्यर्थी, जिसने लिंग-पुनर्मूल्यांकन सर्जरी कराई है, को अयोग्य घोषित किया जाएगा।

13.2.9 **गर्भावस्था (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए)** यदि कोई अभ्यर्थी, गर्भवती पाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा एवं उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

13.2.10 **स्त्री रोग संबंधी परीक्षा (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए)** परीक्षा में बाह्य जननांग, हर्निया के छिद्र तथा पेरिनियम सम्मिलित हैं। तनाव मूत्र असंयम तथा आंतरिक जननांगों के योनि द्वार से बाहर निकलने का कोई भी लक्षण अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर देगा।

13.2.11 **दृष्टि मानक** दृष्टि मानक नीचे दिए गए हैं:-

13.2.11.1 जनरल ड्यूटी शाखा – 6/6 (अच्छी आंख) तथा 6/9 (खराब आंख)

13.2.11.2 घरेलू शाखा – 6/36 (अच्छी आंख) तथा 6/36 (खराब आंख)

13.2.11.3 तकनीकी शाखा (यांत्रिक) – 6/24 (अच्छी आंख) तथा 6/24 (खराब आंख)

13.2.11.4 हाइजीनिस्ट – चश्मे के बिना 6/60 (अच्छी आंख) तथा 6/60 (खराब आंख) एवं चश्मे के साथ 6/9 (अच्छी आंख) तथा 6/24 (खराब आंख)

13.2.11.5 चश्मे का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी जनरल ड्यूटी शाखा के लिए पात्र नहीं हैं।

- नोट:**
1. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे चिकित्सीय परीक्षण से पूर्व अपने कान से मोम साफ करवा लें एवं दाँत से टार्टर निकलवा लें।
 2. लंबाई में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी को अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में लंबाई में छूट नहीं दी जाएगी।
 3. निर्धारित चिकित्सा मानकों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। चिकित्सा मानकों के संबंध में भारतीय तटरक्षक का आदेश ही अंतिम प्राधिकार होगा।

14. **प्रशिक्षण** सीजीईपीटी-01/27 बैच के लिए बुनियादी प्रशिक्षण मई 2027 में तथा सीजीईपीटी-02/27 बैच के लिए बुनियादी प्रशिक्षण नवंबर 2027 में भा.नौ.पो. चिल्का में शुरू होगा जिसके बाद उन्हें आबंटित ट्रेड में समुद्री प्रशिक्षण तथा वृत्तिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मूलभूत प्रशिक्षण में प्रदर्शन तथा सेवा की आवश्यकतानुसार शाखा/ट्रेड का आबंटन किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान किसी भी समय उनकी प्रगति (जिसमें अकादमी संबंधी प्रगति भी शामिल है) या व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर अभ्यर्थियों को **अनुपयुक्त** करार देकर कार्यमुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण अथवा सेवा के किसी भी चरण में यदि आवेदन पत्र या अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई दस्तावेज जाली पाए जाने पर अभ्यर्थी को भारतीय तटरक्षक से सेवामुक्त किया जा सकता है।

15. सामान्य दिशानिर्देश: - (जिनका पालन अभ्यर्थी द्वारा किया जाए अन्यथा ,अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी)

- 15.1 अनुशासनिक आधार पर किसी अन्य सरकारी सेवा प्रशिक्षण केंद्र से हटाए गए अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे।
- 15.2 जिन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है, दोषी नहीं ठहराया गया है या जिनके खिलाफ किसी भी न्यायालय या कानून प्रवर्तन एजेंसी के समक्ष आपराधिक कार्यवाही, जांच, पूछताछ या मुकदमा लंबित है, उन्हें आवेदन पत्र तथा दस्तावेज सत्यापन के समय इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। अभ्यर्थियों को अपने खिलाफ दर्ज किसी भी एफआईआर का विवरण भी देना होगा, चाहे मामले में दोषसिद्धि हुई हो या नहीं। ऐसी किसी भी जानकारी को दबाने अथवा छिपाने पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
- 15.3 भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया जाता है, दोषी ठहराया जाता है, या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है या आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है, तो उसे निर्धारित माध्यम से भारतीय तटरक्षक को तुरंत सूचित करना होगा। ऐसी सूचना न देने, गलत या अपूर्ण जानकारी देने या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। नामांकन के बाद भी ऐसी सूचना छिपाने अथवा गलत सूचना प्रस्तुत करने का मामला ध्यान में आने पर अभ्यर्थिता रद्द करने की यह प्रक्रिया भर्ती के किसी भी चरण में या बाद में भी की जा सकती है।
- 15.4 चरण-II के दौरान प्रस्तुत सभी मूल प्रमाणपत्र एवं अंकसूचियाँ सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी को वापस किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा चरण III-उत्तीर्ण होने पर, चरण-III के दौरान प्रस्तुत सभी मूल दस्तावेज एवं

अंकसूची, चरण III-उत्तीर्ण होने पर भारतीय तटरक्षक अपने पास सुरक्षित रखेगा तथा अनुत्तीर्ण घोषित होने पर सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी को वापस किए जाएंगे।

- 15.5 किसी विशेष बैच के लिए अभ्यर्थी का चयन केवल उसी बैच के लिए वैध होगा। ऐसे अर्हताप्राप्त अभ्यर्थी जिनका नाम अंतिम चयन सूची में न हो, अगले बैच में प्रवेश का दावा नहीं कर सकते। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में नए सिरे से सम्मिलित होना होगा बशर्ते वे नए बैच के लिए पात्रता मानदंड पूरा करें।
- 15.6 डाक द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
- 15.7 चरण-II में अर्हता प्राप्त कर चुके एवं रिक्तियों के अनुसार मेरिट में स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों को ही चरण-III के लिए ई-प्रवेश पत्र भेजा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को उनके चरण-III के ई-प्रवेश पत्र में दी गई तिथि को प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् भा.नौ.पो. चिल्का में स्वयं के व्यय पर पहुँचना होगा। किसी भी आधार पर देरी से रिपोर्ट करना स्वीकार्य नहीं है।
- 15.8 **31 दिसंबर 2027** के बाद इस बैच की भर्ती/नामांकन के संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ का प्रत्युत्तर नहीं दिया जाएगा।
- 15.9 परीक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुशासनहीन गतिविधियों जिसमें नकल/अनाचार शामिल हैं, में लिप्त होने का परिणाम निरर्हता होगा। नकल/अनाचार संबंधी मामलों में भारतीय तटरक्षक का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी अभ्यर्थियों पर बाध्य रहेगा।
- 15.10 भारतीय तटरक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रतिरूपण को बहुत गंभीरता से लेता है। आवेदक तथा जाली अभ्यर्थी दोनों के विरुद्ध एफआईआर/आपराधिक कार्यवाही की जाएगी।
- 15.11 किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए या परीक्षा परिसर में अव्यवस्था उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करने वाले अभ्यर्थी को भारतीय तटरक्षक की वर्तमान तथा आगामी परीक्षाओं में उपस्थित होने से रोक दिया जाएगा। अभ्यर्थी की पात्रता, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (चरण -I) में प्रवेश/मूल्यांकन परीक्षा/शारीरिक स्वस्थता परीक्षा/ भर्ती चिकित्सा (चरण-II), दस्तावेज़ सत्यापन/भा.नौ.पो. चिल्का में पूर्व नामांकन चिकित्सा परीक्षा (चरण -III), मूल दस्तावेजों का सत्यापन (स्टेज-IV) या अन्यथा के संबंध में भारतीय तटरक्षक का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थी पर बाध्य रहेगा। अभ्यर्थी जिनकी अभ्यर्थिता पिछले बैच में कदाचार/दुर्व्यवहार के कारण रद्द कर दी गई थी, वे आवेदन के पात्र नहीं हैं।
- 15.12 नामांकन से पूर्व, आवेदन तथा मूल दस्तावेजों की आगे पात्रता के लिए संवीक्षा की जाएगी तथा यदि भर्ती के किसी भी चरण में और सेवा में शामिल होने के बाद भी किसी भी रूप से अभ्यर्थी अपात्र पाया गया तो उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 15.13 ऐसे 'मुक्त विद्यालय' जो एआईसीटीई/ सीओबीएसई से मान्यता प्राप्त नहीं हैं के अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं।
- 15.14 सफलतापूर्वक शुल्क अदा कर (अजा/अजजा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जिन्हें शुल्क के भुगतान में छूट प्राप्त है को छोड़कर) सफलतापूर्वक आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को आवेदन में दी गई

प्राथमिकताओं के अनुसार परीक्षा के लिए शहर आवंटित किया जाएगा। यदि एक ही परीक्षा केंद्र के लिए अधिक संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, तो तटरक्षक अभ्यर्थी को किसी भी अन्य परीक्षा केंद्र को आवंटित करने का अधिकार रखता है चाहे वह अभ्यर्थी की प्राथमिकता सूची में शामिल हो या नहीं।

- 15.15 किसी एक केंद्र में परीक्षा निरस्त करने एवं उस परीक्षा को किसी अन्य केंद्र में किसी अन्य तिथि में कराने का अधिकार भारतीय तटरक्षक के पास सुरक्षित है।
- 15.16 **इस बैच के किसी भी परीक्षण, किसी भी चरण अथवा संपूर्ण भर्ती को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार भारतीय तटरक्षक के पास सुरक्षित है।**
- 15.17 परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन तथा अन्य किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रयोग की अनुमति नहीं है। ऐसी किसी भी सामग्री का अभ्यर्थी के पास होना भारतीय तटरक्षक द्वारा अनुचित साधन माना जाता है। यदि परीक्षा के चरण-I, II एवं III के दौरान किसी अभ्यर्थी को मोबाइल, ब्लूटूथ या इसी प्रकार के किसी दूसरे रिकॉर्डिंग/स्केनिंग/श्रवण/कैप्चरिंग उपकरण इत्यादि के साथ पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी तथा विधि के अनुसार तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी जिसमें प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया शामिल है।
- 15.18 भारतीय तटरक्षक किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को सुरक्षित रखने की गारंटी नहीं ले सकता। लिखित परीक्षा शुरू होने के बाद और बायोमैट्रिक की पंजीकरण प्रक्रिया के पश्चात अभ्यर्थियों को किसी भी कारणवश परीक्षा स्थान/कक्ष छोड़ने या शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 15.19 परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले सभी अभ्यर्थियों की तलाशी ली जाएगी।
- 15.20 सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि वे सावधान रहें तथा किसी भी अभ्यर्थी की संदेहास्पद गतिविधियों की जानकारी तुरंत निरीक्षक के ध्यान में लाएं।
- 15.21 सफल ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अभ्यर्थियों के पास वैध ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। भारतीय तटरक्षक द्वारा अभ्यर्थियों के साथ संचार केवल ईमेल एवं एसएमएस के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है, कि भर्ती कार्यक्रम में परिवर्तन संबंधी जानकारी के लिए स्वयं की लॉगिन आईडी एवं पंजीकृत ईमेल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। भर्ती संबंधित जानकारी का नियमित रूप से अवलोकन न करने के कारण अभ्यर्थी विभिन्न भर्ती चरणों में अनुपस्थित हो सकता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। ईमेल तथा अपडेट का प्रत्युत्तर न देने से अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी। यदि अभ्यर्थी ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से महत्वपूर्ण भर्ती सूचनाओं का दैनिक आधार पर अवलोकन करने में असफल रहता है, तो भारतीय तटरक्षक इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
- 15.22 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र ध्यान से भरना होगा क्योंकि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती। ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में असत्य जानकारी की गलती को स्वीकार करने वाले विधिवत हस्ताक्षरित शपथ पत्र पर भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा के किसी भी चरण में विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

- 15.23 अभ्यर्थियों को अपना यथा लागू जाति संबंधी विवरण (अजा/अजजा/अपिव (नॉन- क्रीमी) ईडबल्यूएस) ध्यान से भरना होगा क्योंकि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती। पूर्व में कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में जाति के गलत विवरण घोषित किए थे और बाद में भारतीय तटरक्षक तटरक्षक से लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होने का अनुरोध किया। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा गलत घोषणा के आधार पर यह अनुमत्य नहीं है और परिणामस्वरूप भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में एवं सेवा में शामिल होने के बाद भी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी।
- 15.24 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना ही समय पर आवेदन करें।
- 15.25 चरण-I,II एवं III के ई-प्रवेश पत्र में उल्लिखित तिथि एवं समय पर रिपोर्ट न करने पर अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी।
- 15.26 अंतिम तिथि के भीतर अथवा किसी अन्य कारण से अपने आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय तटरक्षक कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है।
- 15.27 परीक्षा के संचालन में प्रशासनिक/तकनीकी/संभारिकी में कुछ समस्याओं के उत्पन्न होने की संभावना को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता जो परीक्षा और/या उसके परिणाम तैयार करने को प्रभावित कर सकता है। उस स्थिति में ऐसी समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थियों के आवागमन, परीक्षा में देरी इत्यादि शामिल हो सकता है। पुनः परीक्षा का आयोजन भारतीय तटरक्षक/परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के पूर्ण विवेक पर निर्भर है। अभ्यर्थी पुनः परीक्षा हेतु किसी प्रकार का दावा नहीं करेंगे। जो अभ्यर्थी आवागमन के अनिच्छुक है अथवा परीक्षा की विलंबित प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं, तो उन्हें प्रक्रिया से सरसरी तौर पर खारिज किया जाएगा।
- 15.28 कृपया नोट करें कि उपरोक्त विज्ञापन के संबंध में यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसका प्रकाशन केवल www.ssc.gov.in पर किया जाएगा और अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के शुद्धिपत्र हेतु नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करना होगा। यदि अभ्यर्थी वेबसाइट पर जारी शुद्धिपत्र का अवलोकन करने से चूकता है और तदनुसार कार्य नहीं करता है या आवश्यक शुद्धिपत्र का अनुपालन नहीं करता है तो उस स्थिति में भारतीय तटरक्षक उसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
- 15.29 अभ्यर्थी को पोर्टल पर बहुधा पूछे गये प्रश्नों की जांच करना चाहिए, तथा ऑनलाइन आवेदन करते समय व परीक्षा के विभिन्न चरणों में उसका अनुपालन करना चाहिए।
- 15.30 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय दर्ज किए गए मोबाईल नंबर तथा ई-मेल आईडी को स्मरण रखना चाहिए क्योंकि अभ्यर्थी के साथ पत्राचार केवल ई-मेल आईडी या एसएमएस माध्यम से ही किया जाएगा। आवेदन जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को ई-मेल आईडी तथा मोबाईल नंबर केवल कूट भाषा (एनक्रिप्टेड रूप) में ही दिखाई देंगे।

- 15.31 चरण-॥ के लिए तिथि एवं केंद्र के चयन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं किया जा सकेगा। भारतीय तटरक्षक द्वारा प्रख्यापित समय सीमा में दस्तावेजों के अपलोड होने तथा तिथि एवं केंद्र के चयन में विफलता के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
- 15.32 जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की वैधता {श्रेणी प्रमाण पत्र अजा/अजजा/अपिव (नॉन क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस} चरण-॥ तथा चरण-॥ से पहले समाप्त हो रही है, उन्हें चरण-॥ तथा चरण-॥ के लिए उपस्थित होते समय पुराने प्रमाण पत्र के साथ नवीनीकृत/नया प्रमाण पत्र लाना होगा। पुराने प्रमाण पत्र के साथ नवीनीकृत/नया प्रमाण पत्र लाने में विफलता अभ्यर्थिता रद्द करने का कारण बनेगी।
- 15.33 यदि अभ्यर्थी धोखाधड़ी से अजा/अजजा/अपिव (नॉन क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस का दावा करते हैं अथवा अन्य जाली लाभ प्राप्त करते हैं, तो उन्हें भारतीय तटरक्षक द्वारा आयोजित वर्तमान परीक्षाओं के साथ ही साथ भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
- 15.34 चरण-॥ के बाद भी भर्ती प्रक्रिया के कई चरणों में दस्तावेज सत्यापन किया जाता है। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने ईमेल और लॉगिन डैशबोर्ड को नियमित रूप से दैनिक आधार पर देखते रहे। यदि अभ्यर्थी लॉगिन डैशबोर्ड/ ईमेल पर भारतीय तटरक्षक द्वारा पोस्ट की गई अपडेट की जांच करने में विफल रहता है तो अलग से कोई संचार नहीं किया जाएगा और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 15.35 अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए अपने मूल दस्तावेज साथ लायें।
- 15.36 किसी भी परिस्थिति में आगे के चरणों में जन्मतिथि एवं लिंग में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा किसी भी स्तर पर गलत जानकारी पाए जाने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- 15.37 ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को आवेदन के प्रिंट पूर्वावलोकन का विकल्प प्रदान किया जाएगा। इस सुविधा का उपयोग अभ्यर्थियों द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए किया जाना चाहिए कि उनका आवेदन सभी पहलुओं (आवश्यक विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, विषयवार अंक/सीजीपीए (जैसा लागू हो), दस्तावेजों की वैधता तिथि, श्रेणी प्रमाणपत्र विवरण आदि) में सही है तथा विज्ञापन में निर्धारित नियमों के अनुसार दस्तावेज सत्यापन में अस्वीकार नहीं होगा। इस सुविधा का उपयोग ऑनलाइन अंतिम सबमिशन से पहले कितनी भी बार किया जा सकता है।
- 15.38 पंजीकरण पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में केवल कुछ फील्ड को संपादित/सुधार करने के लिए 02-03 दिनों की अवधि के लिए संपादन/सुधार विंडो प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन आवेदन भरते समय की गई गलतियों को सुधारने के लिए संपादन विंडो का उपयोग करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र, अपलोड किए गए दस्तावेज (ऑनलाइन आवेदन चरण-॥ तथा ॥ में) तथा चरण-॥ में भौतिक सत्यापन हेतु नाम, जन्मतिथि, माता -पिता के नाम, विषयवार अंक/सीजीपीए (जो भी लागू हो), दस्तावेजों की वैधता, जाति प्रमाण पत्र विवरण आदि के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की विसंगति/भिन्नता/त्रुटि दस्तावेज सत्यापन में विफलता का कारण बनेगी तथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- 15.39 आधार कार्ड धारक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहचान प्रमाण के लिए पहले विकल्प के रूप में अनिवार्य रूप से आधार कार्ड अपलोड करना होगा। यदि अभ्यर्थी बिना आधार कार्ड के है तथा भर्ती के आगे के चरणों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो अभ्यर्थी को आधार कार्ड तथा आधार कार्ड

से जुड़ा मोबाइल नंबर सुनिश्चित करना होगा क्योंकि बैंक खाता खोलने तथा चरण-III में स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या उत्पन्न करने के लिए यह अनिवार्य है।

15.40 भारतीय तटरक्षक, रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सशस्त्र बल होने के कारण किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्ति आवेदन के पात्र नहीं हैं।

15.41 प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपको विवाह करने या विवाह अनुबंध करने/अपने साथ परिवार रखने की अनुमति नहीं होगी।

16. **यात्रा भत्ता:-** अजा/अजजा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी, जो केंद्र/राज्य सरकार में कार्यरत नहीं हैं, को ट्रेन के साधारण दूसरे दर्जे का किराया/सरकारी बस/स्टीमर के द्वारा निकटतम दूरी से तय यात्रा के किराये की प्रतिपूर्ति की जाएगी, यदि अभ्यर्थी का गृहस्थान, परीक्षण के स्थान (चरण-II) से 30 किमी से अधिक की दूरी पर हो। अजा/अजजा अभ्यर्थियों को भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट से यात्रा प्रपत्र डाउनलोड करना होगा और भारतीय तटरक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। **यात्रा भत्ते का प्रावधान भर्ती प्रक्रिया के केवल चरण-II के आयोजन के लिए है। यदि चरण-II के दौरान यात्रा भत्ते के लिए दावा नहीं किया गया तो आगे के चरणों में दावा नहीं किया जा सकता।**

17. **वेतन, भत्ते एवं अन्य लाभ:-**

17.1 **यांत्रिक.** मूल वेतन 29200/- (वेतन लेवल-5) के अतिरिक्त, यांत्रिक वेतन @ रु. 6200 के साथ महंगाई भत्ता और वर्तमान विनियमों के अनुसार कार्य की प्रकृति/तैनाती के स्थान के आधार पर अन्य भत्ते।

17.2 **नाविक (जनरल ड्यूटी)** मूल वेतन 21700/- (वेतन लेवल-3) के साथ महंगाई भत्ता और वर्तमान विनियमों के अनुसार कार्य की प्रकृति/ तैनाती के स्थान के आधार पर अन्य भत्ते।

17.3 **नाविक (घरेलु शाखा)** मूल वेतन 21700/- (वेतन लेवल-3) के साथ महंगाई भत्ता और वर्तमान विनियमों के अनुसार कार्य की प्रकृति/ तैनाती के स्थान के आधार पर अन्य भत्ते।

17.3 **हाइजीनिस्ट -I** मूल वेतन 21700/- (वेतन लेवल-3) के साथ महंगाई भत्ता और वर्तमान विनियमों के अनुसार कार्य की प्रकृति/ तैनाती के स्थान के आधार पर अन्य भत्ते।

18. **पदोन्नति एवं अनुलब्धियां:-**

18.1 पदोन्नति के अवसर **प्रधान अधिकारी/प्रधान सहायक इंजीनियर/हाइजीन सुपरवाइजर** की रैंक तक उपलब्ध है। अफसर संवर्ग में पदोन्नति, विषय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार सेवा में रहते हुए उपयुक्तता तथा निष्पादन के अधीन है।

18.2 **अन्य लाभ**

18.2.1 वर्तमान नियमों के अनुसार नि: शुल्क राशन एवं वर्दी। सैन्य अस्पतालों में स्वयं तथा आश्रित अभिभावकों सहित परिवार हेतु मुफ्त चिकित्सा उपचार।

18.2.2 सरकारी आवास/मकान किराया भत्ता।

18.2.3 प्रति वर्ष 45 दिन की अर्जित छुट्टी, 08 दिन की आकस्मिक छुट्टी, सरकारी नियमानुसार स्वयं, परिवार तथा आश्रित अभिभावकों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)

18.2.4 राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन पी एस) तथा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अनुसार पेंशन तथा वर्तमान विनियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी।

18.2.5 कैंटीन सुविधा (सीएसडी) एवं अन्य ऋण सुविधाएँ।

18.2.6 सेवानिवृत्ति के बाद ईसीएचएस मेडिकल सुविधाएँ।

18.2.7 **बीमा सुरक्षा** निश्चित अनिवार्य मासिक अंशदान पर नौसेना समूह बीमा निधि द्वारा ₹75 लाख की बीमा सुरक्षा।

नोट:- सरकारी आदेशानुसार वेतन, अनुलब्धियों, पदोन्नति, बीमा सुरक्षा एवं अन्य हितलाभ में परिवर्तन किया जा सकता है।

19. सभी शाखाओं के कार्यों की प्रकृति के बारे में संक्षिप्त विवरण पोर्टल पर दी गई जानकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

अभ्यर्थी विज्ञापन के हिंदी संस्करण तथा संपूर्ण अद्यतित जानकारी के लिए तटरक्षक भर्ती वेबसाइट www.ssc.gov.in देखें। यह केवल सांकेतिक विज्ञापन है। किसी भी न्यायालय में केवल अंग्रेजी विज्ञापन को ही आधार माना जाएगा, न कि हिंदी संस्करण को। हर स्थिति में हिंदी विज्ञापन की तुलना में अंग्रेजी संस्करण को ही प्राथमिकता दी जाएगी।

चेतावनी: भारतीय तटरक्षक में चयन निष्पक्ष रूप से तथा मेरिट के आधार पर किया जाता है। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंट बनकर धोखाधड़ी करने वाले बेईमान व्यक्तियों के झांसे में नहीं आना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत के लिए अभ्यर्थी निदेशक (भर्ती), तटरक्षक मुख्यालय, भर्ती केंद्र, नोएडा से दूरभाष – 0120-2201340 पर संपर्क कर सकते हैं।

अस्वीकृतिकरण

विज्ञापन में दी गई शर्तें एवं नियम, दिशानिर्देश मात्र हैं तथा सरकार द्वारा जारी आदेश जिनका समय-समय पर संशोधन किया जाता है भर्ती प्रक्रिया के दौरान लागू होंगे।